कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

संख्याः– 650 /प्रधान सहायक–न्याय दिनांकः–19-03-2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 548(1)पॉच–5–2020 दिनांक 14.03.2020 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के विनियम–12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद मुरादाबाद के सम्पूर्ण क्षेत्र में जनहित एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित आदेश देता हूँ:–

1. जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल दिनांक 02.04.2020 तक बन्द रहेगें तथा इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जायेगा।
2. जनपद के समस्त सार्वजनिक जिम, क्लब के जिम व स्टेडियम के जिम दिनांक 02.04.2020 तक नागरिकों के प्रयोग के लिये बन्द रहेगें।
3. जनपद के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स हॉल में कोई भी शो का संचालन दिनांक 02.04.2020 तक नहीं किया जायेगा तथा ये नागरिक के प्रवेश के लिये बन्द रहेगें।
4. जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यायल, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान (चिकित्सा शिक्षा संस्थान को छोड़कर) एवं निजी शिक्षण संस्थान दिनांक 02.04.2020 तक बन्द रहेगें।
5. जनपद के समस्त सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय दिनांक 02.04.2020 तक बन्द रहेगें।
6. स्टेडियम, स्पोर्टस कॉम्पलैक्स व क्लब में भी किसी भी ऐसे खेल कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेगें।
7. जनपद के समस्त होटल, मैरिज लॉन, पेईग गैस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यवासायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये निःशुल्क अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते है उन सबको ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद में किसी भी प्रकार के निजी, पारिवारिक अथवा व्यवसायिक कार्यक्रम यथा–कान्फ्रेस गोष्ठी, होली मिलन, समाज मिलन, जन्म दिवस पाटी, शादी की वर्षगांठ पार्टी आदि आयोजन दिनांक 02.04.2020 तक पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगें। शादी समारोह व शादी से सम्बन्धित कार्यक्रमों के समारोह, अत्यन्त आवश्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों हेतु परिसर के सम्बन्धित थाना क्षेत्र के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को न्यूनतम 03 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी अनिवार्य होगी तथा शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम(यथा सम्भव 50 से नीचे) रखा जायेगा।
8. इसके अतिरिक्त अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम जिसमें 20 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिभाग करने की सम्भावना हो, उनके अनुमति भी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से प्राप्त करके ऐसे आयोजन किये जा सकेगें, परन्तु कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की सूची 03 दिन पूर्व ही क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में किसी इंफेक्शन को ट्रेस करना हो, तो वह सम्भव हो सकें।

Scanned with CamScanner

9. प्रत्येक होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट भवन एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी, जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक दिनांक 15.04.2020 तक रूकता है या जो वर्तमान में रूका हुआ है, तो उसका नाम, पता, देश का नाम, पासपोर्ट नम्बर एवं मोबाईल नम्बर आदि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध करायेगा, जिस दिन कोई भी विदेश नागरिक उसमें रहना शुरू करता है। आज दिनांक 19.03.2020 तक जिन भी उपरोक्त भवन/परिसर स्वामियों के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है, उनके द्वारा दिनांक 20.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय को यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10. दिनांक 02.04.2020 तक जनपद के अन्य होटलो, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट हाउस में ठहरे हुये अन्य नागरिक भी आवश्यकतानुसार ही बाहर निकलेगें तथा किसी भी परिसर में यदि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना हो तो वे जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कन्ट्रोल रूम (दूरभाष नम्बर–0591–2411224) में इसका विवरण उपलब्ध करायेगें।

11. दिनांक 15.04.2020 तक विदेशी नागरिकों से किसी भी सम्भावित इंफेक्शन से बचाने के लिये जनपद में कोई भी विदेशी नागरिक अपने निवास स्थान/होटल आदि में ही रहेगा तथा भीड–भाड वाले स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नहीं घूमेगा। वह केवल उतना ही भ्रमण करेगा, जितना उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के खरीदने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। सभी होटल/लॉज/पेईंग गेस्ट हाउस व टूर ऑपरेटर इसकी सूचना अनिवार्यता विदेशी नागरिकों को देगें, जो भी नागरिक उनकी सेवा का प्रयोग कर रहे है।

12. दिनांक 15.04.2020 तक कोई भी व्यक्ति भीड़–भाड़ वाले ऐसे स्थानों यथा–अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, ए.टी.एम., इन्श्योरेंस, निजी कम्पनी के कार्यालय, दुकान आदि स्थलों पर तब तक नहीं जायेगा, जब तक उसको स्वयं वहाँ जाने की आवश्यकता न हो। अपने कार्य से इन स्थलों पर जाने वाले व्यक्ति अपने साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां नहीं लेकर जायेगें, जिसकी वहां अत्यन्त आवश्यकता न हो। इन स्थलों के स्वामियों द्वारा भी अपने माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यन्त आवश्यक ग्राहक/व्यक्ति के अलावा गैर वांछित व्यक्ति इनके साथ परिसरों में प्रवेश न करें।

13. दिनांक 15.04.2020 तक टूर ऑपरेटर्स के समस्त वाहनों जिसमें विदेशी एवं देशी पर्यटक घूमते है, उन सभी वाहनों को हर 03 घण्टे में 1 प्रतिशत **Sodium Hypochlorite Solution** से स्प्रे करके एवं उनकी सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे खिडकियां आदि साफ करते हुये उन्हें **Disinfect** किया जायेगा।

14. जनपद के समस्त मॉल, शोरूम, दुकान, प्राइवेट हास्पिटल, होटल, लॉज, पेईंग गेस्ट, आवास अपने–अपने परिसर को हर 06 घण्टे में 01 प्रतिशत **Sodium Hypochlorite Solution** व ब्लीचिंग सोल्यूशन से साफ करना सुनिश्चित करेगा।

15. दिनांक 15.04.2020 तक जनपद के प्रत्येक हॉस्पिटल, मॉल मार्केट, कॉम्पलैक्स, रेस्टोरेन्ट अपने–अपने परिसर में सभी ऐसे स्थलों को हर 03 घण्टे में **Disinfect** करेगें, जिनसे जन

Scanned with CamScanner

सामान्य सम्पर्क में आते है, यथा–लिफ्ट, लिफ्ट के बटन, रेलिंग रेलिंग की दीवारे सामान्य एवं इलैक्ट्रिक सीढियों एवं इसकी रेलिंग, टायलेट/बाथरूम व इसके दरवाजे, हैण्डल, काउण्टर टायलेट/बाथरूम के सीट्स, वॉशबेशिन, शीशे आदि। इसके साथ ही प्रत्येक06 घण्टे में Sodium Hypochlorite Solution से फर्श पर पोछा लगवाना सुनिश्चित करेगें।

16. भारत सरकार के द्वारा विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से निर्देशित देशों से जो के नागरिक शहर में आ रहे है व जिन्हें होम Quarantine करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है, वे 14 दिन तक लगातार अपने आवास में ही रहेंगे। किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेगें। घर के सदस्य भी इन्हें अलग कमरे में यथासम्भव अलग बाथरूम/टायलेट आदि की व्यवस्था उनको 14 दिन तक करके देगें तथा कोई भी घर का सदस्य भी उनके निजी दायरे में नहीं जायेगा। समय–समय पर जब भी चिकित्सकों की टीम इनका परीक्षण करेगें तो उसमें सहयोग करायेगा।

17. जनपद के समस्त निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स के द्वारा जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सहयोग दिया जायेगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद द्वारा आवश्यकतानुसार यदि कुछ वार्ड/बैड़/वैटिलेटर/आई.सी.यू. रिजर्व करने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुसार रिजर्व रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार इस कार्य में इन निजी चिकित्सालयों के चिकित्सों द्वारा भी सहयोग किया जायेगा। केस–टू–केस बेसिस पर इनका अधिग्रहण आदेश भी भविष्य में जारी किया जा सकता है।

18. जनपद के प्रत्येक दुकान, मॉल, रेस्टोरेन्ट अपने परिसर में न्यूनतम एक एवं परिसर के साईज के अनुसार कोरोना वायरस रोकथाम हेतु स्वास्थय विभाग के द्वारा जारी किये गये पोस्टर अथवा इसकी फोटो कॉपी ऐसे स्थानों पर चिपकायेगें जहॉ जनता उनको ज्यादा से ज्यादा पढ सकें।

19. कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन, हैण्ड वॉश साबुन, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट एम.आर.पी. से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा।

20. सोशल मीडिया कोई भी अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जायेगा व न ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम से अलग से किसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित किया करेगा।

उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन विनियमावली के उपबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा तथा विनियमावली के नियम–15 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा।

इस आदेश के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात सम्बन्धित अधिकारिता वाले नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्साधिकारियों द्वारा लिया जा सकेगा।

आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों, स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग एवं जिला सूचना अधिकारी द्वारा

Scanned with CamScanner

किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगायी जायेगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक –उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2– पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद।
4– मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
5– नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
6– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद।
7– पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण, जनपद मुरादाबाद।
8– मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद।
9– क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, बरेली।
10– नगर मजिस्ट्रेट/अपर(नगर)मजिस्ट्रेट–प्रथम/द्वितीय, जनपद मुरादाबाद।
11– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद मुरादाबाद।
12– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका, जनपद मुरादाबाद।
14– जिला सूचनाधिकारी, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15– नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
16– विशेष कार्याधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद।

जिला मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner